③ राजेन्द्र / रामकली 2016/00179

(23)

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या : 58 **/ 2016**

बमुक0 राजेन्द्र बगैरा बनाम रामकली बगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 आर टी एक्ट

14.12.2016 प्रार्थना पत्र बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ। वकील सायलान उपस्थित । वकील सायलान को सुना । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे । गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18.01.2017 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

18-1-17 - पत्रावली पेश। अभिभाषकगण द्वारा कन्डोलेंस किये जाने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 13-4-17 को पेश हो

13/4/17 वकील प्रार्थी उप0/ प0 का0 चुनाव कार्य से व्यस्त है. पत्रावली दिनांक 24/5/17 को पेश हो।

12-6-17 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम सेवा केन्द्र मुसलपुर पर पेश हुई। प्रतिवादी / गैरसायलान सं. 1, 2, 5, 6 की ओर से श्री योगेश शर्मा एडवोकेट उप0। उन्होंने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसिल किया। गैरसायलान सं. 2, 5, 6 स्वयं उप0 उन्होंने निवेदन किया कि वादीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है, ना ही उनका रिकार्ड में नाम है, ना ही विवादित आराजी पर कब्जा है। लोक अदालत की भावना से मौके पर ही कब्जे बाबत पटवारी हल्का से

जावा लिए
नरेश
धारवल

से जानकारी ली गई। उन्होंने विवादित ~~आरी~~ आराजी प्रतिवादीगण के नाम होना तथा प्रतिवादीगण का ही विवादित आराजी पर कब्जा होना बताया है। कब्जे बाबत सरपंच भूसलपुर से भी जानकारी ली गई। उन्होंने कब्जे बाबत लिखित मे रिपोर्ट दी है कि बेदरिया पुत्र गिरवर त्यागी, देवसुख पुत्र गिरवर त्यागी तक मुझे जानकारी है। उसके बाद उनकी औलाद की मुझे जानकारी नही है। बेदरिया पुत्र गिरवर के फौत होने पर उनके पुत्र रामसिंह, किशनचरन, बीरबल, जादौसिंह के बारे में जानकारी है वह बदरिका में निवास कर रहे हैं अपना काम धन्धा व खेती कर रहे हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान में कब्जा भी प्रतिवादीगण का ही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस व सुविधा सन्तुलन सायल के पक्ष में न होकर गैरसायलान के पक्ष में है प्रार्थना पत्र ~~खारिज~~ सायलान खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद की पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ